# कार्यालय नगर पंचायत लवन

## जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

### ई–निविदा आमंत्रण सूचना कमांक .................... दिनांक ..................

#### –: नियम एवं शर्तें :–

01. निर्धारित समय–सीमा में निम्नलिखित दस्तावेजों को नोटरी से सत्यापन पश्चात् ऑनलाईन अपलोड एवं आफलाईन दस्तावेज भेजा जाना अनिवार्य होगा :–
    - (A) अमानत राशि (TDR), निविदा शुल्क (DD) की मूल प्रति।
    - (B) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होने का रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (मूल शपथ पत्र)।
    - (C) एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशीप बीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    - (D) पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
    - (E) कार्य की लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि का बैंक सालवेन्सी की प्रति।
    - (F) इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (विगत 03 वर्ष का)
    - (G) ईपीएफ एवं ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
    - (H) तकनीकी/इंजीनीयर रखे जाने प्रमाण पत्र, सहमति एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
    - (I) कार्य में विद्युत संबंधी कार्य होने पर एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सिविल सह ईलेक्ट्रीकल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। (विद्युत पोल कार्य हेतु)
02. निविदा दर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 01 वर्ष के लिए निकाय में किसी भी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।
03. पुराने एफ.डी.आर./टी.डी.आर. एवं पूर्व में जमा धरोहर राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं मान्य किया जावेगा और नहीं समायोजन किया जायेगा।
04. प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देशो एवं मापदण्ड के अनुसार कटौती की जावेगी।
05. सशर्त निविदाएं मान्य नही की जावेगी।
06. निविदा में किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
07. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर ठेकेदार के रूप में संदर्भित विहित प्रारूप में प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना दिनांक से 14 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करेगा। उसमें विफल रहने का परिणाम अग्रीम धन का राजसात एवं निविदा निरस्ती के रूप में होगा।
08. निविदा सूचना पत्र की सभी शर्ते पंजीकृत ठेकेदार पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी के अलावा बंधनकारी होगी।
09. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बतायें निरस्त करने का एवं कार्य की लागत राशि से कम कार्य कराये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। किसी भी कारणवश निविदा तिथियों में संशोधन होने पर जानकारी केवल सूचना पटल में चस्पा की जावेगी।
11. समस्त सामाग्रीयों के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेकेदार के बिल से 05 प्रतिशत की राशि सुरक्षानिधि के रूप में रोकी जावेगी, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
13. कार्य के चल देयक में कुल देयक का 85 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
14. राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान के जावेगी।
15. यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में निविदा प्रदाय की अंतिम तिथि अथवा निविदा प्राप्ति दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस को तदानुसार निविदा प्रपत्र प्रदाय तिथि अथवा निविदा प्राप्ति माना जावेगा।
16. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार पेनाल्टी/कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

17. कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में/अपरिहार्य कारणो से कार्य निरस्त होने पर निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी।

18. किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि वे निविदा से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तो का एवं स्थल अवलोकन कर लिया गया है तथा उन्हे समस्त नियम शर्ते मान्य हैं।

19. केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभिन्न विभाग जैसे – आयकर विभाग, जी.एस.टी., खनिज विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो का पालन की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

20. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने पश्चात् जियों टैग फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आउट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

21. दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबध्द है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नही कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान स्थगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है।

22. निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

23. छत्तीसगढ कार्य विभाग के मैनुअल अनुसार एम–30 सी.सी. रोड निर्माण कार्य के पूर्व एम–30 कांक्रीट मिक्स डिजाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कार्य के दौरान आवश्यक मटेरियल टेस्टिंग कराया जावेगा, जिसका शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा।

24. ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समानुदेशन अथवा उप पट्टे पर नही होगा । कार्यो को सबलेट नही किया जा सकेगा।

25. ठेकेदार को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।

26. भुगतान में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान संज्ञान होने पर एजेन्सी से वसूली की जावेगी, जिसके लिए निविदाकर्ता बाध्य है। राजस्व वसूली के समान भरपाई की जावेगी।

27. **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in व eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।**

28. निविदाकार ई–टेण्डर के लिफाफा "ए" में अमानत राशि (ईएमडी) एफ.डी.आर. की स्कैन कॉपी, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की स्कैन कापी तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिसियल स्टॅाम्प पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन कापी ऑन लाईन सबमिट करेंगे। लिफाफा "बी" में अपनी पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज ऑनलाईन सबमिट करेंगे। पहले लिफाफा "ए" खोला जायेगा। लिफाफा "ए" में निर्धारित मूल्य का अमानत राशि (ईएमडी) सबमिट होने, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की स्कैन कापी तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिसियल स्टॅाम्प पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन कापी प्राप्त होने पर ही फिजिकल सबमिशन का लिफाफा खोला जावेगा। फिजिकल सबमिशन लिफाफा "ए" में निर्धारित मूल्य के अमानत राशि की मूल प्रति, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की मूल प्रति तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिसियल स्टॅाम्प पेपर पर शपथ पत्र की मूल कापी प्राप्त होने पर ही आनलाईन लिफाफा "बी" पात्रता संबंधी दस्तावेजों का लिफाफा खोला जावेगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही प्राईस बिड खोला जावेगा, अन्यथा अपात्र करते हुए संबंधित निविदाकार का निविदा नहीं खोला जावेगा।

29. समस्त सामाग्रीयों के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। डामरीकरण कार्य का निविदा प्रपत्र क्रय करते समय ठेकेदार को स्वयं के स्वामित्व/लीज के आटोमेटिक ड्रम मिक्स प्लांट (60 कि.मी. की परिधि के भीतर), रोलर एवं अन्य मशीनरी, जैसे पेवर फिनिशर एवं रोड रोलर आदि मशीनों के प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (बी.टी. रोड हेतु)

30. ठेकेदार के द्वारा अधिकृत कम्पनी से क्रय किये गये डामर के मूल बिल की प्रति देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (बी.टी. रोड हेतु)

31. निविदादाता को एल.ई.डी. लाईट एवं पोल निर्माता कंपनी का अधीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (विद्युत पोल कार्य हेतु)

32. कार्य निविदादाता को देयक भुगतान के पूर्व केबल, एलईडी लाईट एवं पोल का टेस्ट रिपोर्ट प्रदान करना होगा। अन्यथा की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा। (विद्युत पोल कार्य हेतु)

"प्रारूप अनुमोदित"

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत
जिला [illegible] (छ.ग.)

अधीक्षण अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner